R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 12
जून 2014

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

बैंक खातों हेतु पते का केवल एक दस्तावेजी प्रमाण

रिज़र्व बैंक ने बैंक खाते खोलते समय अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) मानदंडों के संबंध में 'पते के प्रमाण' की प्रस्तुति की अपेक्षा को 9 जून 2014 को निम्न प्रकार सरलीकृत किया है:

ए) ग्राहक बैंक में खाता खोलते समय या आवधिक अपडेशन के दौरान किसी एक ही पते (या तो वर्तमान या स्थायी) के दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि पते के सबूत के रूप में दिए गए पते में कोई परिवर्तन होता है तो पते का नया सबूत छह माह की अवधि के भीतर शाखा को प्रस्तुत करना होगा।

बी) यदि ग्राहक द्वारा दिया गया पते का सबूत स्थानीय पता या वह पता नहीं है जहां ग्राहक अभी निवास कर रहा है तो बैंक ऐसे स्थानीय पते के लिए एक घोषणा प्राप्त कर सकता है जिस पर बैंक द्वारा ग्राहक के साथ समस्त पत्राचार किया जा सके। पत्राचार/स्थानीय पते के रूप में दिए गए ऐसे किसी पते के लिए किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होगी। बैंक द्वारा इस पते का सत्यापन सकारात्मक पुष्टि जैसेकि (i) पत्र, चेक बुक, एटीएम कार्ड के प्राप्त होने की पावती; (ii) टेलीफोन पर बातचीत (iii) मुआयना आदि द्वारा किया जा सकता है। स्थान परिवर्तन या किसी अन्य कारण से इस पते में परिवर्तन होने की दशा में ग्राहकों द्वारा बैंक को पत्र व्यवहार किए जाने हेतु नए पते की सूचना इस परिवर्तन के दो सप्ताह के भीतर दी जाए।

चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा

रिज़र्व बैंक ने 9 जून 2014 को चलनिधि व्यापकता अनुपात (एलसीआर), चलनिधि जोखिम निगरानी साधन और एलसीआर प्रकटीकरण मानकों पर दिशानिर्देश जारी किए। स्टेकधारकों से प्राप्त अभिमत और प्रतिसूचना पर विचार करने के बाद इन दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया गया। चलनिधि व्यापकता अनुपात बैंकों पर 1 जनवरी 2015 से लागू होगा।

बैंकों को संक्रमण समयावधि उपलब्ध कराने की दृष्टि से एलसीआर अपेक्षा कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए अर्थात 1 जनवरी 2015 से न्यूनतम 60% रहेगी और 1 जनवरी 2019 को 100% तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित समय-सारणी के अनुसार समान स्तर से बढ़ेगी :

	1 जनवरी 2015	1 जनवरी 2016	1 जनवरी 2017	1 जनवरी 2018	1 जनवरी 2019
न्यूनतम एलसीआर	60%	70%	80%	90%	100%

बासल III चलनिधि अनुपात के लिए बैंकों की तैयारी के आकलन हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा दिसंबर 2013 को बैंकों के नमूने के तौर पर कराया गया परिणामात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) दर्शाता है कि इन बैंकों का औसत एलसीआर 54% से 507% तक भिन्न-भिन्न है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को विशेष जांच दल से सूचना साझा करने के लिए कहा

रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2014 को सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब भी अपेक्षित हो वे विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा अपेक्षित सूचना/दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

कर-वंचना अथवा गैर कानूनी गतिविधियों के माध्यम से विदेशों में जमा की गई भारी राशि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
• बैंक खातों हेतु पते का केवल एक दस्तावेजी प्रमाण	1
• चलनिधि मानकों पर बासल III रूपरेखा	1
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को विशेष जांच दल से सूचना साझा करने के लिए कहा	1
• दूसरा-द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15	2
• राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा	2
• विनियामक अनुमोदनों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए नागरिकों के अधिकार के लिए रिज़र्व बैंक की समय-सीमा	2
• स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तेलंगना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक होगा	2
विदेशी मुद्रा	
• बढ़ी हुई विप्रेषण सुविधाएं	3
• निवासी व्यक्तियों के लिए 1,25,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति	3
• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया	3
• गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता	3
सहकारी बैंकिंग	
• अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार / अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा	4
• पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करना	4
• विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य	4
अन्य समाचार	
• तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की नई विशेषताएं	
• भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया	4

दूसरा-द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15

डॉ. रघुराम जी. राजन, गवर्नर ने 3 जून 2014 को वर्ष 2014-15 के लिए दूसरे द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की घोषणा की। वर्तमान और उभरती हुई समष्टि आर्थिक स्थिति के आकलन के आधार पर रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर में कोई परिवर्तन किए बिना इसे 8.0 प्रतिशत पर रखा जाए;
- अनुसूचित बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) को अपरिवर्तित रखते हुए इसे निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 4.0 प्रतिशत पर रखा जाए;
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को 50 आधार अंकों तक कम करते हुए 14 जून 2014 को शुरू होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 23.0 प्रतिशत से घटाकर 22.5 प्रतिशत किया जाए;
- निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) सुविधा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई चलनिधि को पात्र निर्यात ऋण बकाए के 50 प्रतिशत से घटाकर तत्काल प्रभाव से 32 प्रतिशत किया जाए;
- तत्काल प्रभाव से ईसीआर के अंतर्गत चलनिधि की पहुंच में कमी के लिए संपूर्ण प्रतिपूर्ति हेतु निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.25 प्रतिशत की एक विशेष मीयादी रिपो सुविधा लागू की जाए; और
- बैंकिंग प्रणाली के निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.75 प्रतिशत तक 7-दिवसीय और 14-दिवसीय मीयादी रिपो के अंतर्गत चलनिधि उपलब्ध कराना जारी रखा जाए।

इसके परिणामस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत प्रत्यावर्तनीय रिपो दर अपरिवर्तित रह कर 7.0 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर एवं बैंक दर 9.0 प्रतिशत पर बनी रहेगी।

मुद्रास्फीति अनुमान

रिज़र्व बैंक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति को जनवरी 2015 तक 8 प्रतिशत और जनवरी 2016 तक 6 प्रतिशत लाते हुए अर्थव्यवस्था को अवस्फीतिकारी क्रम में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि अर्थव्यवस्था इसी रूप में बनी रहती है तो और नीति कड़ाई की जरूरत नही होगी। दूसरी ओर आधारगत प्रभावों के समायोजन के लिए अवस्फीति वर्तमान में प्रत्याशित गति से तेज है, इससे नीति रूझान में कमी के लिए अवसर उपलब्ध होगा।

चलनिधि प्रबंध

रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि रिज़र्व बैंक से विशेष मीयादी रिपो सुविधा (एनडीटीएल के 0.25 प्रतिशत के समकक्ष) के माध्यम से चलनिधि के प्रति बाजार की पहुंच के अनुरूप विस्तार की पूरी तरह से प्रतिपूर्ति करते हुए निर्यात ऋण पुनर्वित्त की पहुंच को सीमित किया जाए। इससे रिज़र्व बैंक से दस्तावेजी साक्ष्य, ईसीआर से जुड़े प्राधिकार और सत्यापन से संबंधित प्रक्रिया औपचारिकताओं के बिना संपूर्ण प्रणाली के लिए चलनिधि की पहुंच में सुधार होगा। इससे ब्याज दर स्पेक्ट्रम में नीतिगत भावनाओं के अंतरण में सुधार और नकदी/खज़ाना प्रबंध में दक्षता भी उत्पन्न होगी। यह उपाय किसी विशेष क्षेत्र या संस्था तक अधिमान्य पहुंच के बिना क्षेत्र विशिष्ट पुनर्वित्त से प्रणालीगत चलनिधि का अधिक सामान्यीकृत प्रावधान करने के लिए डॉ. ऊर्जित आर. पटेल समिति की सिफारिशों के अनुपालन में किया गया।

विदेशी मुद्रा बाजार

घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार पहुंच और चलनिधि में सुधार करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि:

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उनके मूलभूत एक्सपोजर और अतिरिक्त 10 मिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा तक घरेलू शेयर बाजार में कारोबार वाले मुद्रा डेरिवेटिव बाजार में भाग लेने की अनुमति दी जाए;
- घरेलू संस्थाओं को भी शेयर बाजार में कारोबार वाले मुद्रा डेरिवेटिव बाजार तक ऐसी पहुंच की अनुमति दी जाए;
- विदेशी मुद्रा बाजार में हाल की स्थिरता को देखते हुए पात्र सीमा को मार्जिन ट्रेडिंग, लॉटरी और ऐसे ही अन्य प्रतिबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को छोड़कर अंतिम उपयोग वाले प्रतिबंधों के बिना 125,000 अमरीकी डॉलर तक बढ़ाया जाए;
- पाकिस्तान और बांग्ला देश के नागरिकों को छोड़कर सभी निवासियों और अनिवासियों को देश से बाहर जाते समय रुपये 25,000 तक भारतीय मुद्रा नोट ले जाने की अनुमति दी जाए।

तीसरा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य मंगलवार, 5 अगस्त 2014 को निर्धारित है।

राज्य सरकारों को विशेष आहरण सुविधा

राज्य सरकारों के परामर्श से रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2014 को निर्णय लिया है कि राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले विशेष अर्थोपाय अग्रिमों का नाम बदलकर विशेष आहरण सुविधा किया जाए। नाम परिवर्तन 23 जून 2014 से लागू हो गया है। राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने वाले विशेष अर्थोपाय अग्रिम, सामान्य अर्थोपाय अग्रिम योजना और ओवर ड्राफ्ट की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी। रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17(5) के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह विशेष आहरण सुविधा प्रदान की है।

विनियामक अनुमोदनों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए नागरिकों के अधिकार के लिए रिज़र्व बैंक की समय-सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर 23 जून 2014 को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसी) की गैर-विधायी सिफारिशों के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 'विनियामक अनुमोदन और नागरिकों के अधिकार के लिए समय-सीमा' जारी की। ये समय सीमाएं सांकेतिक हैं। यदि विभागों द्वारा समय-सीमा बढ़ाने की संभावना हो तो वे आवेदक के पास जाएंगे। यदि आवेदक दर्शाई गई समय-सीमा के अंदर जवाब प्राप्त नहीं करते हैं तो वे संबंधित विभाग के प्रधान से संपर्क कर सकते हैं। विभागाध्यक्ष आवेदन की स्थिति, देरी के कारण, अतिरिक्त सूचना के लिए अनुरोध, यदि हो, और आवेदन के निपटान की संभावित समय-सीमा के बारे में जवाब देगा।

पृष्ठभूमि

वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की एक सिफारिश के अनुसार, सभी विनियामकों से अपेक्षित है कि वे लागू कानूनों के अधीन कारोबार करने के लिए लाइसेंस और उत्पाद तथा सेवा की शुरूआत सहित सभी अनुमतियों के लिए एक समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया अपनाएं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अपने विभिन्न विभागों द्वारा दिए जाने वाले विनियामक अनुमोदन और सार्वजनिक इंटरफेस रखने वाले विभागों द्वारा सेवाओं की प्रदायगी के लिए नागरिकों के अधिकार की समय सीमा तैयार की है।

स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद तेलंगना में राज्य स्तरीय बैंकर समिति का संयोजक होगा

रिज़र्व बैंक ने तेलंगना राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के संयोजक के दायित्व का कार्य स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (एसबीएच) को सौंपा है। आंध्र प्रदेश राज्य (तेलंगना बनने के बाद) के लिए एसएलबीसी का उत्तरदायित्व आंध्रा बैंक के पास ही रखा गया है।

विदेशी मुद्रा

बढ़ी हुई विप्रेषण सुविधाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 19 जून 2014 को विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत डीलरों को सूचित किया कि सभी निवासियों और अनिवासियों (पाकिस्तान और बांग्ला देश के नागरिकों तथा पाकिस्तान और बांग्ला देश जाने वाले एवं वहां से आने वाले यात्रियों को छोड़कर) को देश छोड़ते समय 25,000 रुपए तक की भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति प्रदान की जाए। परिवर्तित आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और विदेशी यात्राओं पर जाने वाले निवासियों एवं भारत आने वाले अनिवासियों की यात्रा अपेक्षाओं को सुविधाजनक बनाने के मद्देनज़र निवासियों और अनिवासियों के लिए मुद्रा के निर्यात और आयात में सुविधा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अब भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति:

i) अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) ले जा सकता है; और

ii) जो अस्थायी दौरे पर भारत से बाहर गया है, वह भारत से बाहर (नेपाल और भूटान को छोड़कर) के किसी स्थान से लौटते समय अधिकतम 25,000 रुपये (पच्चीस हजार रुपये मात्र) की राशि तक के भारत सरकार के करेंसी नोट और भारतीय रिज़र्व बैंक के नोट भारत में ला सकता है।

भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान और बांग्ला देश का नागरिक नहीं है तथा पाकिस्तान और बांग्ला देश जाने वाला अथवा वहां से आने वाला यात्री नहीं है, और भारत के दौरे पर आता है तो वह भी किसी एयरपोर्ट से भारत से बाहर जाते समय अथवा भारत में आते समय इतनी ही राशि ले जा सकता है/ला सकता है।

निवासी व्यक्तियों के लिए 1,25,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 जून 2014 को सभी श्रेणी I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया कि वे उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत अनुमत चालू अथवा पूंजी खातेगत लेनदेनों अथवा दोनों के लिए संयुक्त रूप में प्रति वित्तीय वर्ष अब 1,25,000 अमरीकी डालर की सीमा तक के विप्रेषणों की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। फिर भी, इस योजना का उपयोग प्रतिबंधित अथवा मार्जिन ट्रेडिंग, लाटरी, आदि जैसी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए विप्रेषण भेजने हेतु न किया जाए।

माल और सेवाओं का निर्यात - दीर्घावधि निर्यात अग्रिम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 21 मई 2014 को सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को अनुमति प्रदान की है कि वे न्यूनतम तीन वर्षों का संतोषजनक ट्रैक रेकार्ड रखने वाले निर्यातकों को, माल के निर्यात हेतु दीर्घावधि आपूर्ति संविदाओं के निष्पादन में उपयोग के लिए कुछ शर्तों के तहत अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के दीर्घावधि अग्रिमों की प्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान करें। इसके अतिरिक्त प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को सूचित किया गया है कि यदि निर्यात निष्पादन के लिए साख पत्र/बैंक गारंटी जारी करने की अपेक्षा हो तो कतिपय दिशानिर्देशों का पालन किया जाए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के तीन प्रभाग 15 जुलाई 2014 से नई दिल्ली स्थानांतरित किए जाएंगे

विदेशी निवेश प्रभाग (एफआईडी) के तीन प्रभाग 15 जुलाई 2014 से भारतीय रिज़र्व बैंक के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में स्थानांतरित किए जाएंगे। ये प्रभाग हैं- संपर्क/शाखा/परियोजना कार्यालय (एलओ/बीओ/पीओ) प्रभाग, अनिवासी विदेशी लेखा प्रभाग (एनआरएफएडी) और अचल संपत्ति (आईपी) प्रभाग ।

नए विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष के प्रमुख श्री पी. शिमराह, महाप्रबंधक होंगे तथा इसका पता विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय कक्ष, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001,भारत होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने नाम पर फर्जी वेबसाइट के बारे में चेतावनी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ फर्जी वेबसाइट बनाई गई हैं जो विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं का प्रस्ताव करती है और आम जनता से 'आरबीआई बचत खाता' खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और निधियां प्राप्त करने हेतु अपने बैंक खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहती है।

रिज़र्व बैंक स्पष्ट करता है कि भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं जैसे बचत बैंक खाता, चालू बैंक खाता या क्रेडिट कार्डों का प्रस्ताव नहीं करता है। अतः रिज़र्व बैंक द्वारा फर्जी वेबसाइट पर दर्शाई गई ऑनलाइन बैंकिंग सेवा प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। रिज़र्व बैंक ने आमजनता को सावधान किया है कि वे फर्जी वेबसाइट पर झूठे प्रस्तावों का शिकार न बनें। रिज़र्व बैंक ने आमजनता को इस बात के लिए भी सावधान किया है कि उस वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करने का परिणाम अपनी महत्वपूर्ण व्यक्तिगत सूचना से समझौता करना हो सकता है जिसका उन्हें वित्तीय और अन्य हानि पहुंचाने के लिए दुरुपायोग किया जा सकता है।

ये प्रभाग वर्तमान में 11वीं मंज़िल, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400001 में स्थित हैं। ये प्रभाग विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई -400001 का भाग बने रहेंगे।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पंजीकरण के लिए प्रलेखन को सरल बनाया

अब एनबीएफसी, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एनबीएफसी-एमएफआई), एनबीएफसी-फैक्टर और मूलभूत सुविधा ऋण निधि - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (आईडीएफ-एनबीएफसी) के लिए एक सामान्य आवेदन फॉर्म होगा। मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए आवेदन फॉर्म को पुनःतैयार किया गया है तथा दस्तावेजों की दो जांच-सूचियां हैं - एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- मूलभूत सुविधा वित्त कंपनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में पंजीकरण के लिए और दूसरी आईडीएफ-एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण के लिए हैं। इसके अतिरिक्त, पहले से पंजीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से आईएफसी/एमएफआई/फैक्टर में परिवर्तित करते हुए कंपनी अपने पत्रशीर्ष पर परिवर्तन हेतु आवेदन कर सकती है जिसके साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र और जांचसूची में दिए गए सभी दस्तावेज होंगे। दस्तावेजों की संवीक्षा के बाद रिज़र्व बैंक नए दर्जे में परिवर्तित हुए पंजीकरण प्रमाण-पत्र पर उचित टिप्पणी करेगा।

रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उल्लिखित जांचसूचियां सांकेतिक हैं और व्यापक नहीं हैं। रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक हुआ तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकरण करने की पात्रता पर अपने आपको संतुष्ट करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है। रिज़र्व बैंक द्वारा जांचसूची में दिए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त और दस्तावेजों की मांग करने की स्थिति में आवेदक कंपनी एक महीने के निर्धारित समय के अंदर अवश्य जवाब दे, ऐसा नहीं करने पर सभी दस्तावेजों के साथ परिवर्तन के लिए आवेदन/अनुरोध को कंपनी को वापस भेज दिया जाएगा जिसे उक्त कंपनी अपेक्षित सूचना/दस्तावेजों के साथ नए सिरे से प्रस्तुत करेगी।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के नियंत्रण के अधिग्रहण या अंतरण के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2014 को जमाराशि स्वीकार करने तथा जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली दोनों प्रकार की सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दिशानिर्देश जारी किए कि शेयर अथवा किसी अन्य प्रकार से अधिग्रहण के द्वारा एनबीएफसी के नियंत्रण का अधिग्रहण अथवा अधिकार में लेने के मामले में; एनबीएफसी का किसी अन्य संस्था में विलय/समामेलन अथवा किसी संस्था का एनबीएफसी में विलय/समामेलन जिससे अधिग्रहणकर्ता/अन्य संस्था का एनबीएफसी पर नियंत्रण होगा, या जिसके परिणामस्वरूप एनबीएफसी की चुकता पूंजी के 10 प्रतिशत से

पृष्ठ 4 पर जारी...

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या MR/Tech/WPP-20/South/2014 **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**
प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित

सहकारी बैंकिंग

अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार / अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड नहीं लगाया जाएगा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 26 मई 2014 को शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया कि तत्काल प्रभाव से वैयक्तिक उधारकर्ताओं को मंजूर सभी अस्थिर दर वाले मीयादी ऋणों पर फोरक्लोजर प्रभार/अवधिपूर्व भुगतान पर अर्थदंड लगाना बंद किया जाए। रिज़र्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए ऐसा ही परिपत्र 27 मई 2014 को जारी किया।

पूर्वदत्त भुगतान लिखत (प्री-पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) जारी करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 27 मई 2014 को सभी शहरी सहकारी बैंकों, जिन्होंने एटीएम स्थापित किए हैं तथा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड जारी किए हैं, उनको रुपए 10,000/- की सीमा तक के घरेलू बिल (यूटिलिटी बिल) / महत्वपूर्ण सेवाओं के भुगतान के लिए अर्ध-सीमित (सेमी-क्लोज्ड) प्री-प्रेड इंस्ट्रूमेंट की शुरूआत करने के लिए अनुमति प्रदान की है। इन भुगतान लिखतों (पेमेंट इंस्ट्रूमेंट) का प्रतिदेय केवल इस प्रकार पहचान किए गए मर्चेंट स्थानों / प्रतिष्ठानों पर होगा जिन्होंने शहरी सहकारी बैंकों के साथ इस प्रयोजनार्थ संविदा किया है। इन लिखतों के ज़रिए धारक स्वयं नकदी का आहरण या प्रतिदेय नहीं कर सकता।

विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) के लिए केवाईसी मानदंडों का सामंजस्य

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी संविभाग निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बैंक खाते खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों को सरल बनाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे विदेशी संविभाग निवेशकों के लिए तृतीय पक्ष (अर्थात अभिरक्षक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित मध्यवर्ती संस्था) द्वारा किए गए अपने ग्राहक को जानें सत्यापन पर भरोसा करें जो सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत पंजीकृत हैं और जिन्होंने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत निवेश के प्रयोजन हेतु एक बैंक खाता खोलने के लिए सेबी द्वारा नियंत्रित किसी अभिरक्षक/मध्यवर्ती संस्था के माध्यम से सेबी द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक को जानें के लिए अपेक्षित उचित सावधानी/सत्यापन कर लिया है।

इसके अतिरिक्त सेबी से यह अनुरोध किया गया है कि उनके द्वारा विनियमित अभिरक्षकों/ मध्यवर्ती संस्थाओं को सूचित किया जाए कि एफपीआई से लिखित प्राधिकार के आधार पर वे संबंधित बैंकों के साथ केवाईसी दस्तावेजों का आदान-प्रदान करें।

द्वितीयक बाजार लेनदेन को आसान बनाने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वे एफपीआई से प्राप्त केवाईसी दस्तावेजों अथवा लिखित प्राधिकार के आधार पर अन्य बैंकों/नियंत्रित बाज़ार मध्यवर्ती संस्थाओं के साथ किसी अभिरक्षक/नियंत्रित मध्यवर्ती संस्था से उसकी प्रमाणित प्रतियों का आदान प्रदान करें।

(पृष्ठ 3 से जारी)

अधिक शेयरधारिता का अधिग्रहण/अंतरण होगा, के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। अन्य कंपनी अथवा एनबीएफसी में विलय अथवा समामेलन का आदेश प्राप्त करने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के तहत या कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-233 के तहत न्यायालय अथवा न्यायाधिकार के समक्ष जाने के पूर्व भारतीय रिज़र्व बैंक से लिखित अनुमोदन लेना भी आवश्यक होगा।

रिज़र्व बैंक से लिखित पूर्वानुमति लिए बिना शेयरों के अधिग्रहण/एनबीएफसी के नियंत्रण का परिणाम रिज़र्व बैंक द्वारा प्रतिकूल विनियामक कार्रवाई करने के रूप में होगा जिसमें पंजीकरण प्रमाण पत्र निरस्त करना शामिल होगा।

अन्य समाचार

तत्काल सकल भुगतान प्रणाली की नई विशेषताएं

रिज़र्व बैंक ने 20 जून 2014 को निर्णय लिया कि 14 जुलाई 2014 से तत्काल सकल भुगतान प्रणाली (आरटीजीएस) में 'मिश्रित' और 'भविष्य के मूल्य वाली दिनांकित लेनदेन' विशेषताओं को शुरू किया जाए। मिश्रित विशेषता इस तरह से तैयार की जाएगी कि वह प्रत्येक पांच मिनट में निष्प्रभावी हो जाए। सामान्य वरीयता वाले लेनदेन का निष्प्रभावी व्यवस्था में निपटान किया जाएगा, जिसमें दो बार प्रयास किए जा सकते हैं अर्थात एक लेनदेन अधिकतम 10 मिनट तक ''सामान्य'' क्यू में रहेगा। यदि सामान्य वरीयता वाले लेनदेन का इस समय-सीमा के अंदर निष्प्रभावी मोड में निपटान नहीं हो पाता है तो लेनदेन की वरीयता स्वतः ही ''अत्यंत महत्वपूर्ण'' में बदल जाएगी। मापदंड मूल्य को 10 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाएगा। इसका अभिप्रायः यह है कि निपटान खाते में 10 प्रतिशत शेषराशि निपटान के लिए निष्प्रभावी मोड में चली जाएगी। भविष्य के मूल्य वाले दिनांकित लेनदेन से ग्राहक/प्रतिभागी मूल्य तारीख पर आरटीजीएस में निपटान करने के लिए तीन कार्यदिवस पहले आरटीजीएस लेनदेन शुरू कर सकेंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्हाइट लेबल एटीएमों के लिए तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकृत किया

रिज़र्व बैंक ने भारत में व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) स्थापित और परिचालित करने के लिए निम्नलिखित तीन गैर-बैंक संस्थाओं को प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी किए हैं और वे हैं - (i) बीटीआई पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, बंगलुरु (ii) श्रेई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनैंस लिमिटेड, कोलकाता, (iii) रिद्दी सिद्धी बुलियन्स लिमिटेड, मुंबई।

इससे पहले व्हाइट लेबल एटीएम परिचालित करने के लिए चार संस्थाओं जैसे टाटा कम्यूनिकेशन्स पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, मुंबई, प्रिज्म पेमेंट सर्विसिज़ प्रा. लिमिटेड, मुंबई, मुथुट फाइनैंस लिमिटेड, कोच्चि और वक्रांगी लिमिटेड, मुंबई को प्राधिकृत किया गया था।

गैर-बैंक संस्थाओं को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने के बाद वर्ष 2012 से देश में व्हाइट लेबल एटीएम स्थापित और परिचालित करने के लिए अनुमति दी गई है। अब तक भारत में केवल बैंकों को ही एटीएम स्थापित और परिचालित करने की अनुमति थी। व्हाइट लेबल एटीएम परिचालित करने के लिए गैर-बैंकों को अनुमति देने का मुख्य उद्देश्य अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, मुख्य रूप से टीयर III से VI क्षेत्रों में एटीएमों के प्रसार में वृद्धि करना था जहां बैंक स्वाधिकृत एटीएमों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही थी। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत संबंधित परिचालक द्वारा अपनाई गई योजना के अनुसार तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में निश्चित न्यूनतम डब्ल्यूएलए स्थापित करने की आवश्यकता है।

प्रिय पाठकों

जुलाई से ई-एमसीआईआर

व्यय में अधिक मितव्ययिता और हरित प्रयास के लिए मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) अब केवल ई-स्वरूप में प्रकाशित किया जाएगा।

जुलाई 2014 अंक से एमसीआईआर अपने पाठकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in/MCIR) पर उपलब्ध होगा।

जो पाठक एमसीआईआर ई-मेल के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं वे कृपया अपना ई-मेल पता helpdoc@rbi.org.in को भेजें।

संपादक

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/ चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।